चेक लिस्ट क्रमांक –19

*राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र*बस्तर

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस–2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर महोदय, जिला बस्तर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी
(चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
CHiPS
State Data Center Civil Lines Raipur (CG)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

निदेशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर (छत्तीसगढ़).

कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, बस्तर जिला, जगदलपुर (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक /616/ रीडर / अनापत्ति / 2021 जगदलपुर, दिनांक 06 / 12 / 2021

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी
(CHiPS) रायपुर (छत्तीसगढ़) ।

विषय :– राजस्व वन भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत् ।

संदर्भ :– आवेदक अजय नायक, प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, वास्ते, छ0ग0 इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर (छत्तीसगढ़) का पत्र क्रमांक भानेप्रो–II / वनभूमि / एफआरए–अनापत्ति / 2019–20 / 27 दिनांक 06.01.2021 ।

— 00 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारतनेट प्रोजेक्ट फेस–2 के सफल क्रियान्वयन हेतु बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के दरभा ब्लाक क्षेत्रान्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर के वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु राजस्व वन भूमि–निरंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है ।

अतएव भारत नेट प्रोजेक्ट फेस–2 के तहत् आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत राजस्व वन भूमि निरंक है । कांगेर धाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत संरक्षित वन् भूमि रकबा 1.005 हेक्टेयर का गैर वानिकी प्रयोजन लिये जाने के संबंध में विधिवत् छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय वन बोर्ड से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा । यदि छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय वन बोर्ड द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू–प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तो इस कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है ।

कलेक्टर
जिला बस्तर

पृ.क्रमांक /617/ रीडर / अनापत्ति / 2021 जगदलपुर, दिनांक 06 / 12 / 2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य वन संरक्षक(व.जी.) एवं क्षेत्रीय निदेश ई.टा.रि. जगदलपुर को सूचनार्थ ।
3. वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।
4. निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर को सूचनार्थ ।
5. आवेदक अजय नायक, प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, छ0ग0 इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
जिला बस्तर